

Annexure -3 (Revised)

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: - स्वास्थ्य उप केन्द्र की वार्षिक मरम्मति।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):

Annual Maintenance Grants

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर):

Part---B---No-B3.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम): - राज्य में सरकारी भवन में चल रहे 4848 स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवनों की वार्षिक मरम्मति प्रस्तावित हैं।

इन भवनों की मरम्मति इस प्रकार कराया जाना चाहिए ताकि भवन देखने में अच्छा लगें। भवन में जहाँ भी कुछ क्षति दिखायी पड़े उसकी मरम्मति छत की मरम्मति, फ्लोर की मरम्मति, शौचालय, बरामदा, आदि की मरम्मति तथा रंगाई पूताई कराया जाना चाहिए। दरवाजा खिड़की की मरम्मति एवं इसका रंग-रोगन भी कराया जाना चाहिए। शौचालय की मरम्मति तथा जलापूर्ति हेतु चापाकल आदि की मरम्मति भी आवश्यकतानुसार कराया जाना चाहिए। जिलावार इनकी सूची 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तदनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संख्या में कमी या अधिकाई होने पर प्रस्ताव दिया जा सकता है।

इकाई राशि (रु० में) : - दस हजार प्रति स्वास्थ्य उप केन्द्र।


वित्तीय दिशा निर्देश : - यह कार्य संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार किसी भी तकनीकी विभाग से प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राप्त किया जाए तथा नियमानुसार इस कार्य को कराया जाए। सिविल सर्जन तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित प्राथमिक स्वा० केन्द्र इसके लिए जवाबदेह होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक- 27187 दिनांक- 10.06.11 (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम:- श्री आर० बी० पी० यादव, भ०प्र०से० (से०नि०)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : - 9470003009


21/11